टी बोर्ड
14, बी.टी.एम.सरणी
कोलकाता-700001

वेबसाइट : www.teaboard.gov.in ☎ : 033-2235 5571 🖷 : 2235-9677

संदर्भ सं टी-2(48)/सांख्य/2022 **दिनांक: 11.10.2022**

सूचना

विषय: ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से ईजीआईसीसीएस पोर्टल में पंजीकृत स्थायी निर्यातकों द्वारा निर्यात रिटर्न जमा न करना

चाय (वितरण व निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधान के अनुसार, टी बोर्ड द्वारा जारी स्थायी निर्यातक लाइसेंस रखने वाले सभी निर्यातकों को अनिवार्य रूप से निर्यात की गई चाय के विवरण के साथ चाय बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक रिटर्न जमा करना आवश्यक है।

हालांकि, यह देखा गया है कि **ऑनलाइन ईजीआईसीसी पोर्टल में पंजीकृत कुछ स्थायी निर्यातक अपनी निर्यात रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड (सूची संलग्न)** के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिससे चाय (वितरण व निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के खंड 27 के पैरा 1 (ई) के प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण व्यवसाय लाइसेंस के धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लाइसेंस को रद्द या निलंबित कर सकता है यदि लाइसेंसधारी लाइसेंसिंग प्राधिकरण या किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

इसलिए, दुबारा यह अनुरोध किया जाता है कि ईजीआईसीसीएस पोर्टल (http://egiccs.teaboard.gov.in) के माध्यम से हर महीने की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन निर्यात रिटर्न जमा करें, ऐसा न करने पर, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा जैसा उचित समझा जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ह/-
(अनुज्ञापन नियंत्रक)

क्र.सं	अनुज्ञापन सं	निर्यातक	रिटर्न जमा स्थिति
1	पी ई-10002 PE-10002	मेसर्स स्वीस सिंगापूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड M/S.Swiss Singapore India Private Limited	2019 से जमा नहीं कर रहा
2	पी ई-3471 PE-3471	हारले कारमबेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड Harley Carmbel (India) Private Limited	जमा नहीं कर रहा